




न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा)

राजस्व वाद संख्या 179/2020

अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दमाराम पुत्र उगराराम 2. मालाराम पुत्र उगराराम 3. हीरोदेवी पत्नी उगराराम 4. सिरूदेवी पत्नी मेघाराम 5. रामाराम पुत्र मेघाराम 6. धूडाराम पुत्र मेघाराम जाति-जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव		8. विशनाराम पुत्र सोनाराम 9. शेराराम पुत्र मानाराम 10. रेवन्ताराम पुत्र विशनाराम 11. रायमलराम पुत्र शेराराम 12. घमुराम पुत्र शेराराम 13. हुकमाराम पुत्र शेराराम 14. गोकलराम पुत्र शेराराम जाति-जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव
दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
16/12/20	वादीगण के वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर। पत्रावली आइंदा दिनांक 28/12 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (SDO), शिव	
28/12	पत्रावली पेश हुई वादी अधिमन्त्र अ। प्रतिवादीगण के कोर्ट से जमाने 21 से व डिप्लोमरी रिपोर्ट पेश हुई जो शामिल पत्रावली में जमा। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण का इन्जार् टोकनर पत्रावली आइंदा दि. 15/12 को पेश हो।  सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
15/12/20	पत्रावली पेश हुई वादी अधिमन्त्र अ। प्रतिवादीगण की कोर्ट से वकील श्री जयदेवसिंह सिंगर द्वारा पत्रावली पेश किया जो शामिल पत्रावली में जमा। पत्रावली वाले प्रतिवादीगण के जवाब हेतु दि. 24/12 को पेश हो।  सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

26.02.26

24)

पत्रावली पेश/ वाक्य लाय उपस्थित
पत्रावली वाले पारी खास हेतु दिनांक
13.03.26 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

13.3.26

01.

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 16.3.26 को पेश हो।

16.3.26

15.

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 30.3.26 को पेश हो।

30.03.26

पत्रावली पेश/ वाक्य लाय उपस्थित
पत्रावली वाले वादी खास हेतु दिनांक
8.05.26 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

08.05.26

पत्रावली पेश/ वाक्य लाय उपस्थित।
पत्रावली में उभावी पेटवी हेतु न्यायालय समय
में उभयपक्ष अधिवक्ता को रोक रोककर
आवाजे दी जाने के बावजूद अनुपस्थित।
पत्रावली में उभावी पेटवी नहीं होने तथा
अनुपस्थित रहने के कारण पेटवी व अरम
हाजरी में खारिज की जाती है।

पत्रावली नंबर से कम होगा, बाकी
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
शिव (बाड़मेर)

सेवामें,

वादी